पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री केदारनाथ धाम में सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत सिविक एमिनिटीज बिल्डिंग (Civic Aminities Building) के निर्माण की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री मनोज जोशी, वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक, आई0एन0आई0।
7. श्री आकाश शर्मा, सीनियर इंजीनियर, आई0एन0आई0।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– तीर्थ यात्रियों के श्री केदारनाथ धाम आगमन पर उनको नैसर्गिक एवं उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम सरस्वती नदी के तट पर नागरिक सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत सिविक एमिनिटीज बिल्डिंग निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

   उक्त योजना से श्री केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालओं एवं आस्था पथ पर आवागमन करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए मूल सुविधायें यथाः शौचालय, Changing Room, Cafetaria एवं विश्राम के लिए Open Hall का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– आगणन में प्रस्तावित भवन में निम्न सुविधायें प्राविधानित की गयी है :–
   1. **भूतल** :– भूतल में महिला एवं पुरूषों के स्नानघर, शौचालय, पेयजल एवं लाकर की सुविधा हेतु पृथक–पृथक दो ब्लॉक प्रस्तावित किये गये है एवं यात्रियों के सरकुलेशन हेतु कोर्ट यार्ड प्रस्तावित किया गया है। महिला एवं पुरूष शौचालयों में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

महिला शौचालय	पुरूष शौचालय
No. of Western W.C. – 10	No. of Western W.C. – 5
No. of Baths – 10	No. of Urinals - 8
No. of Wash Basins – 6	No. of Baths – 8
Floor Plan Level - 1	No. of Wash Basins – 10

   2. **प्रथम तल** :– प्रथम तल में Cafetaria का प्राविधान किया गया है।
   3. **द्वितीय तल** :– द्वितीय तल में यात्रियों हेतु खुला हॉल का प्राविधान किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. भवन का निर्माण आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर एम–30 कंक्रीट में प्रस्तावित है तथा आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल एम–25 कंक्रीट में प्रस्तावित किये गये है।
5. दरवाजे एवं खिडकियों के फ्रेम साल वुड में, Panel and Glazed shutter Second Class Teak Wood में Railing Hand rail Teak Wood में प्रस्तावित की गयी है।
6. फर्श में कोटा स्टोन, Vetrified Tile एवं शौचालय एवं स्नान घर में Cermic Tiles लगाया जाना प्रस्तावित है।
7. भवन की बाहरी दीवारों में Stone Cladding प्रस्तावित की गयी है।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता दिनांक 28.06.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें आगणन में प्रस्तावित कार्यो को समुचित पाते हुए प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4.2 योजना का वित्त पोषण सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत शत–प्रतिशत एच0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाना है।

4.3 निर्माण हेतु राजकीय भूमि उपलब्ध है।

4.4 नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्तावित भवन के कार्य स्थल की भूमि का Geo Technical Investigation एवं Soil Investigation का कार्य ECON Laboratory and Consultancy, Jaintanwala, Garhi Cantt, Dehradun द्वारा माह जून, 2021 किया गया है।

4.5 स्थल परीक्षण के उपरान्त कार्य स्थल की मिट्टी की सुरक्षित भार वहन क्षमता भू–सतह से क्रमशः 1.5 मीटर, 2.00 मीटर, 3.00 मीटर गहराई में 10.7, 13. 90, 20.80 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है, भवन निर्माण हेतु नीव की गहराई 2.00 मीटर के अनुसार नींव का परिकल्पन किया गया है।

4.6 भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग GENSTRU Consultant Pvt. Ltd, Near, B-415, GO Square, Mankar Chowk Rd, Wakad, Pune, Maharashtra द्वारा किया गया है।

4.7 डिजाइन/ड्राइंग में Seismic Zone-V के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधान किये गये है।

4.8 भवन निर्माण हेतु दरें डी0एस0आर0 2018 पर आधारित है तथा स्थल विकास के कार्य हेतु एस0ओ0आर0 की दरें ली गयी है।

4.9 **भवन की स्ट्रक्चरल ड्राइंग, डिजाइन एवं रूफ ट्रस की डिजाइन मान्यता प्राप्त संस्थान (आई0आई0टी0 /एन0आई0टी0) से अनुमोदित नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी डिजाइन एवं ड्राइंग अधिकृत संस्था से अनिवार्य रूप से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा।**

4.10 उपरोक्तानुसार सी0एस0आर0 मद (एच0पी0सी0एल0) में श्री केदारनाथ धाम में नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु भवन निर्माण आगणन लागत रू0 1082.38 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

4.11 **भवन में Fire Safety का प्राविधान सुनिश्चित कर लिया जाय तथा Building Byelaws का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.12 **जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।**

4.13 उपरोक्त के क्रम में आगणन में प्रस्तावित कार्य एवं उनकी लागत का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item of Work	S.I. (DSR)	S.I. (SOR)	NSI
1	Civil Works	590.61	229.77	-
2	Electrical Works	30.63	-	74.40
3	Plumbing & Drainage Works	6.47	-	74.61
	Amount	**627.71**	**229.77**	**149.01**
	Contingency @ 3% & 1% of Q.C (4%)	25.11	9.19	-
	Sub Total	**652.81**	**238.96**	**149.01**
	Add GST @ 12% on A		27.57	
	O&M for 5 year on Electrical & Plumbing works on Rs 186.97			14.02
	Yetting Charges @ 0.75% on Rs 1007.35 lakh			
	Total	**652.82**	**266.53**	**163.03**
	Grand Total	**1082.38**		

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1082.38 लाख

आगणन में प्राविधानित एम–25, एम–30 कंक्रीट मद (एस0ओ0आर0 मद) में त्रुटिवंश जी0एस0टी0 की धनराशि का प्राविधान न किये जाने के कारण परीक्षण पर जी0एस0टी0 राशि जोडे जाने से लागत में रू0 23.89 लाख की वृद्धि हुई है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.13 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश– में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 1082.38 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरस: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.4 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

5.5 **भवन की स्ट्रक्चरल ड्राइंग, डिजाइन एवं रूफ ट्रस की डिजाइन प्रतिष्ठित संस्थान से अनुमोदित नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी डिजाइन एवं ड्राइंग प्रतिष्ठित संस्था से अनिवार्य रूप से अनुमोदित कराया जाय।**

5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.8 योजना शत–प्रतिशत सी0एस0आर0 मद में वित्तीय पोषित है, अतः प्रशासनिक विभाग के स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि Corporate Agency समय पर धन उपलब्ध कराते रहे ताकि राज्य सरकार को किसी प्रकार का वित्त दायित्व वहन न करना पडें।

5.9 जन सविधाओं के सम्बन्ध में महिला एवं पुरूष शौचालयों में श्री केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या के अनुपात में शौचालय विकसित किये जाय।

5.10 स्टोन Cladding का कार्य उच्च गुणवत्तापूर्वक कराया जाय ताकि यात्रा काल में कही भी Stone Claddig के उखडकर गिरने की सम्भावना न रहें।

5.11 भवन में Fire Safety एवं Building Byelaws का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.11 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–5/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 899/731/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/पर्यटन/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 11, अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)